न्यायालय सहायक कलेक्टर /परगनाधिकारी सण्डीला, हरदोई।

वाद सं0 ..... वर्ष 2013—14
धारा—143 ज0वि0 एवं भूमि व्यव0 अधि0
ग्राम— मुसलमानाबाद परगना व
तहसील सण्डीला जिला—हरदोई।

श्रीमती मासूम सैयदा प्रबन्धक मो0अली नजीर फातिमा महाविद्यालय मुसलमाना बाद गौरी खालसा

बनाम **उ0 प्र0 सरकार**

आदेश

वादिनी **श्रीमती मासूम सैयदा** पत्नी सितवत हुसैन **प्रबन्धक मो0अली नजीर फातिमा महाविद्यालय मुसलमाना बाद गौरी खालसा**, परगना व तहसील सण्डीला जनपद—हरदोई वारिद हाल 3/65 विकास नगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत गाटा सं0—634/0.6990, 636/0.4450हे0, स्थित ग्राम **मुसलमाना बाद** परगना व तहसील सण्डीला जिला हरदोई की वादिनी संक्रमणीय भूमिधर है उक्त गाटा पर कृषिकार्य नही हो रहा है बल्कि महाविद्यालय भवन बना हुआ है। वादिनी द्वारा उक्त गाटो को अकृषिक घोषित करने की याचना की गयी हैं।

वाद पंजीकृत होकर कागजात तहसीलदार सण्डीला को स्थलीय जॉच हेतु भेजें गये, तहसीलदार ने प्रकरण की जॉच क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक से कराकर अपनी आख्या एवं संस्तुति दिनॉक 02.11.13 न्यायालय को प्रेषित की है।

मैंनें तहसीलदार सण्डीला की स्थलीय जॉच आख्या दिनॉक 02.11.13 का भली प्रकार अवलोकन किया जो संलग्न पत्रावली हैं। तहसीलदार आख्या के अनुसार ग्राम मुसलमानाबाद परगना व तहसील सण्डीला जिला हरदोई की खतौनी वर्ष 1420—1425फ0 की खाता सं0—390, 389 की गाटा सं0—634/0.6990, 636/0.4450हे0पर वादिनी **श्रीमती मासूम सैयदा पत्नी सितवत हुसैन प्रबन्धक मो0अली नजीर फातिमा महाविद्यालय मुसलमाना बाद गौरी खालसा**, परगना व तहसील सण्डीला जनपद—हरदोई वारिद हाल 3/65 विकास नगर लखनऊ का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं उक्त गाटो पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है बल्कि महाविद्यालय भवन बना है। अतः कृषि कार्य न होने की दशा में गाटा सं0—634/0.6990, 636/0.4450हें को अकृषिक घोषित करने एवं लगान मुक्त करने हेतु आख्या एवं संस्तुति की हैं।

उपरोक्त तथ्यों के अनुशीलन पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि गाटा सं0—634/0.6990, 636/0.4450हे0 पर वादिनी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। विवादित भू—भाग का प्रयोग कृषि कार्य, मत्स्य, बागवानी आदि में नही किया जा रहा हैं। इसलिए अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः तहसीलदार सण्डीला की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर ग्राम मुसलमानाबाद परगना व तहसील सण्डीला जिला हरदोई की खतौनी वर्ष 1420—1425फ0 की खाता सं0— 390, 389 की गाटा सं0— 634/0.6990, 636/0.4450हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता हैं तथा लगान मु0 43.00 रू0 निरस्त किया जाता हैं। तदनुसार अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक सण्डीला को भेजी जायें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखालय हों।

दिनॉक :— 16.12.13

(गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव)
सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी
सण्डीला, हरदोई।

17-12-2013
17-12-2013
211
17-12-2013